लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या3441

10 अगस्त, 2015 को उत्तसर के लिए

हरित क्षेत्र इस्पात परियोजनाओं हेतु एसपीवी

3441. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री राजीव सातव:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
श्री धनंजय महाडीक:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री टी. राधाकृष्णन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 2025 तक इस्पात उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अनुमानित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में हरित क्षेत्र इस्पात परियोजनाओं की स्थापना हेतु इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) द्वारा प्रचालित विशेष उद्देश्य वाहनों (एसपीवी) को सेवा देने के लिए विदेशी इस्पात कंपनियों को आमंत्रित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं और इस संबंध में विदेशी कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) एसपीवी के अंतर्गत विदेशी कंपनियों और इस्पात पीएसयू के बीच शेयर होल्डिंग के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस्पात उत्पादन में तेजी लाने हेतु कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्त र

इस्पांत और खान मंत्री **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर**

(क) : सरकार ने वर्ष 2025 तक के लिए इस्पा त उत्पा्दन का कोई लक्ष्यं निर्धारित नहीं किया है। इस्पाात एक नियंत्रणमुक्तै और बाजार संचालित उद्योग है। इस्पाित का उत्पाउदन घरेलू मांग और निर्यात की संभावना पर आधारित होता है।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) से (घ) : प्रश्नह नहीं उठता।

(ड़) : इस्पाबत मंत्रालय की भूमिका स्वइभाव से एक सुविधादाता के रूप में होती है। सरकार ने देश में इस्पापत का उत्पा्दन बढ़ाने के लिए निम्नमलिखित उपाय किए हैं :

i) इस्पाात की विभिन्न् श्रेणियों पर बेसिक सीमा शुल्क दिनांक 16.06.2015 से बढ़ा दिया गया है।

ii) दिनांक 30.12.2011 से लौह अयस्क के विभिन्न1 प्रकारों पर यथामूल्य 30 प्रतिशत की दर से और दिनांक 27.01.2014 से लौह अयस्क. पेलैटों पर यथामूल्यअ 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है। इसके अतिरिक्त,1 दिनांक 30.04.2015 से 58 प्रतिशत से कम लोहांश वाले लौह अयस्कि पर 10 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्कत लगाया गया है।

iii) चीन, मलेशिया और दक्षिणी कोरिया से आयात होने वाले हॉट रोल्ड8 चपटे स्टै नलेस स्टीाल पर दिनांक 05.06.2015 से एंटी डम्पिंग शुल्कय लगाया गया है।

iv) दिनांक 30.03.2015 से कोल माईंस (स्पेाशल प्रोविजन्सप) अमेंडमेंड एक्ट्य2015 अधिसूचित किया गया है तथा कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पामत संयंत्रों को कोयला खानों की नीलामी की गई है।

*****